



कार्यालय नगर निगम, अजमेर

--: पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राज.) :-

क्रमांक : आर.ओ.(ओ.आर.)/630/51

दिनांक : 22/08/16

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम अजमेर सीमा क्षेत्र में सडक के दोनों किनारे एवं डिवाइडरो के बीच लगे विद्युत पोलो पर 40X30 इंच साईज के विज्ञापन पट्ट (कियोस्क) लगाने का ठेका वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि (01.09.2016 से 31.03.2017 तक) व 2017-18, 2018-19 व 2019-20 (01.09.2016 से 31.03.2020) तक के लिए खुली नीलामी बोली आमंत्रित की जाती है।

अतः इच्छुक फर्म/कम्पनी निम्न अंकित दिनांक को नगर निगम कार्यालय की अन्यकर शाखा में उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अमानत राशि	नीलामी दिनांक	समय	सरकारी बोली
1.	विद्युत पोलो पर 40X30 इंच साईज के विज्ञापन पट्ट (कियोस्क)	2,56,650	26/8/16	प्रातः 11:00 बजे से 1:00 तक अमानत राशि जमा एवं दोपहर 02:00 बजे से 03:30 बजे तक नीलामी बोली	51,33,000 रुपये 1 वर्ष

प्रमुख शर्तें

1. बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि का डीडी/बैंकर्स चैक जो आयुक्त नगर निगम, अजमेर के नाम जमा कराने के पश्चात् ही बोली में भाग ले सकते हैं।
2. सफलतम बोलीदाता को 10/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसका कोई भी रिश्तेदार नगर निगम के कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद नहीं है।
3. सफलतम बोलीदाता को 5 लाख रुपये की बैंक गारन्टी व पेन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लगाया गया सेवाकर की राशि स्वीकृत बोली राशि के अतिरिक्त जमा कराना होगा।
5. सफलतम बोलीदाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि (01.09.2016 से 31.03.2017) की अनुपातिक राशि निगम कोष में जमा करानी होगी एवं पूर्व स्वीकृत बोली राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की राशि जमा करानी होगी।
6. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी निगम की अन्यकर शाखा से कार्यालय दिवस एवं समय पर देखी जा सकती है एवं निगम की वेबसाईट www.Ajmermc.org पर एवं State public Procurement Portal पर भी सूचना देखी जा सकती है।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम, अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

वित्तिय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि (01.09.2016 से 31.03.2017 तक) व 2017-18, 2018-19 व 2019-2020 (01.09.2016 से 31.03.2020) तक के लिये नगर निगम सीमा में लगे विद्युत पोलों पर कियोस्क (विज्ञापन बोर्ड) प्रदर्शित करने हेतु निम्न शर्तें :-

1. उच्चतम बोलीदाता को पांच लाख रुपये की बैंक गारण्टी तीन दिवस में जमा करानी होगी। व अमानत राशि 2,56,650 रुपये का डी.डी./बैंकर्स चैक जमा कराना होगा जो आयुक्त नगर निगम, अजमेर के नाम से देय हो। जिसका समायोजन स्वीकृत बोली राशि के साथ किया जा सकेगा।
2. ठेका वित्तिय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि (01.09.2016 से 31.03.2017 तक) व 2017-18 2018-19 व 2019-2020 (01.09.2016 से 31.03.2020) तक के लिए मान्य होगा अर्थात दिनांक 31.03.2019 तक मान्य होगा। एवं बोली एक वित्तीय वर्ष हेतु लगाई जावेगी एवं स्वीकृत बोली राशि पर आगामी प्रत्येक वित्तिय वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये राशि 31 मार्च से पूर्व जमा करानी होगी। 31 मार्च के पश्चात् राशि जमा कराने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत ब्याज वसूला जावेगा।
3. सफलतम बोलीदाता को कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर के आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार राशि 5,000/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
4. सफलतम बोलीदाता को 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पर इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार नगर निगम अथवा राजकीय सेवा में कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद नहीं है।
5. सफलतम बोलीदाता को नगर निगम की स्वीकृति प्राप्त होने के 7 (सात) दिवस में प्रथम वर्ष की समस्त राशि एक मुश्त जमा करानी होगी। 7 दिवस के बाद राशि जमा कराने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा।
6. बोलीदाता नगर निगम सीमा क्षेत्र में डिवाइडरों के बीच में लगे विद्युत पोलों एवं सडक के दोनो किनारें लगे विद्युत पोलों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
7. यदि अजमेर विद्युत वितरण निगम से कोई विज्ञापन संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ तो नगर निगम उसको सुलझाने का प्रयास करेगा।
8. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व विगत तीन वर्षों का आय व्यय का विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराकर देना होगा जिसमें न्यूनतम टर्न ओवर 60 लाख रुपये का होना चाहिए।
9. विज्ञापन के समय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके बोर्डों पर कोई अश्लील/ आपत्तिजनक विज्ञापन प्रदर्शित न किया जावे यदि ऐसा पाया गया तो संवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। नगर निगम को अधिकार होगा कि वह ठेका निरस्त कर सकेगा एवं जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
10. पोलों पर साफ सफाई बनी रहे इसके लिए संवेदक डिवाइडरों के पोलों का प्रति वर्ष रंग रोगन करेगा।
11. विज्ञापन लगाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना आदि होती है तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार होगी।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
13. केन्द्रीय कर, राज्य सरकार का कर, सेवाकर का भुगतान ठेकेदार को स्वीकृत बोली राशि के साथ ही अतिरिक्त जमा कराना होगा।
14. विज्ञापन पट्ट को मजबूती से स्थापित करना होगा प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में विज्ञापन पट्ट (कियोस्क) नीचे नहीं गिरें। गिरने से राहगीर, जनता को होने वाले नुकसान की जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
15. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम अजमेर को होगा।
16. ठेकेदार शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा। किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन होने पर जमा बैंक गारन्टी की राशि में से कटौती की जा सकेगी। व ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
17. 40"X30" साईज से अधिक के विज्ञापन बोर्ड नहीं लगेंगे एवं इससे छोटे बड़े साईज के लगे बोर्डों को बोलीदाता हटायेगा।
18. सफलतम बोलीदाता को नगर निगम, अजमेर में प्रचलित विज्ञापन उपविधिया 2010 की पूर्णतया पालना करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना भी करनी होगी।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम, अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर